न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः–हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010050802026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1538/2026

हकीकत पुत्र उमर मौहम्मद निवासी लालपुर शौलाना, जिला गाजियाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अपराध संख्या 172 सन 2026
धारा–309(4), 352, 61(2) बी.एन.एस.
थाना धौलाना, जिला हापुड़।

दिनांक 14.07.2026:–

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त, जो अपराध संख्या 172 सन् 2026, धारा 309(4), 352, 61(2) बी.एन.एस., थाना धौलाना, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादी मुकदमा अबरार द्वारा दिनांक 31.05.2026 को थाना हाजा धौलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसने अपनी दो बीघा जमीन करीब 35 लाख रूपये में पिछले वर्ष बेची थी, जिसमें से 18 लाख पर प्लॉट उसने मेरठ में इसी माह लिया है, कुछ रूपये भैंस लेने में, अन्य काम में खर्च किये है और शेष 250000/– रूपये उसके खाते में है। इसकी पूरी जानकारी उसके ही गांव के हकीकत पुत्र उमर को थी। दिनांक 30.05.2026 को समय करीब 8–9 बजे वह और उसके दो गांव के हकीकत पुत्र उमर मौ0 व फजरू पुत्र फकरू, ग्राम लालपुर में अपने खेत के पास काम करने के लिए बैठे थे तभी 3 लड़के अज्ञात अपने मुंह पर डाटा मारकर आये, आते ही उसके साथ गाली–गलौच करते हुए उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर जबरदस्ती 2 लाख रूपये मो0नं0 9760707311 में ट्रांसफर करने को कहा, परन्तु उसने 7000/– रूपये उक्त मोबाईल में इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती ट्रांसफर करायी क्योंकि वह तमंचा देखकर डर गया था तथा तभी उसकी जेब में 5000/– रूपये नगद थे, वो तमंचा दिखाकर उससे लूटकर चले गये, उनकी मोटर साईकिल थोड़ी दूर खड़ी थी। इस पूरी घटना में हकीकत उपरोक्त का भी हाथ है, इसी के द्वारा यह घ ाटना करायी गयी है और हकीकत भी वहां से इधर–उधर चला गया, उसके बाद में फजरू घबराये हुए थे, दोनों ही तभी गांव लालपुर आकर अपने परिवार को आकर बतायी।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त केस में आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त केस में जो गवाह दर्शाये गये है वह वादी संबंधी है कोई स्वतंत्र निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ना मौके से गिरफ्तारी है ओर ना ही आवेदक/अभियुक्त पर कोई बरामदगी है। आवेदक/अभियुक्त के उपरोक्त केस में चिकित्सा परीक्षण के आधार पर यह केस साबित नहीं होता। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा से लूट की तथा दौरान गिरफ्तारी सहअभियुक्तगण के पास से लूट के 1000/– रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट के अंकन 1000/– रूपये बरामद की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा से लूट की तथा दौरान गिरफ्तारी सहअभियुक्तगण के पास से लूट के 1000/– रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल तथा एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट के अंकन 1000/– रूपये होना बताया गया है। तथाकथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सह अभियुक्त फजरू की नियमित जमानत दिनांक 02.07.2026 स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं विचारण में समय लगने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत धनराशि पर जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/– पचास हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को संबंधित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अविलंब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक 14.07.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।